संख्या–137 / 65–1–2008–380 /

प्रेषक,

बी. एम. मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2008

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–916 / 65–1–1980 दिनांक 19 जून, 2000 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में हाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये उक्त कर्मचारियों के अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते के नाम दिया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ–3 उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रुपये प्रतिमाह)
1	2	3
1	रु. 3049 तक	300 / –
2	रु. 3050 से 5999 तक	400 / –
3	रु. 6000 से अधिक	500 / –

2– उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों / अध्यापिकाओं को उक्त शासनादेश संख्या 916 / 65–1–2000 दिनांक 19 जून 2000 के अन्तर्गत अनुमन्य वाहन भत्ता को निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	2	3
1	प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका	500 / –
2	अध्यापक / अध्यापिका	400 / –

3– उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग

ा–अपने आय–व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक / प्राथमिक इकाई में तदनुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–सा(2) / 517 / दस : 2008 दिनांक 08 / 5 / 08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी । जा रहे हैं।

भवदीय,
(बी.एम. मीना)
प्रमुख सचिव

ख्या– 137 (1) / 65–1–2008 / 380 / 96, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा (प्रथम) / आडिट–प्रथम, उ. प्र., इलाहाबाद।

2– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ. प्र., लखनऊ।

3– श्री राज्यपाल के सचिव।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।

6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग।

8– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 / 2, वित्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग–3, वित्त सामान्य अनुभाग–4 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग (दो प्रतियों में)।

9– सार्वजनिक उद्यम विभाग।

10– निदेशक, बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव